



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-21082024-256529
CG-UP-E-21082024-256529

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3195]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/ श्रावण 29, 1946

No. 3195]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/ SHRAVANA 29, 1946

रेल मंत्रालय
उत्तर मध्य रेलवे(निर्माण विभाग)
अधिसूचना

प्रयागराज, 7 अगस्त, 2024

का.आ. 3511(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के **करछना** जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् प्रयागराज – पं दीन दयाल उपाध्याय, तीसरी रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना (150 किमी)" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं.सं.) / प्रयागराज को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्योरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना पं० दीनदयाल उपाध्याय – प्रयागराज के मध्य तीसरी लाइन निर्माण परियोजना के लिए करछना जिले के प्रयागराज तहसील में आने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण/ प्लॉट सं०	क्षेत्रफल (हे०) में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	करछना	घोडेडीह	469	0.0430
			योग	3.0430
2	करछना	महुअरिया ता० लवायन	880	0.0040
			योग	0.0040
3	करछना	कचरी	175	0.0200
			योग	0.0200
4	करछना	कटका	333	0.0200
			337	0.2280
			योग	0.2480
			महायोग	0.3150

[इ.फा. सं. एन.सीआर.-एच. क्यू.शून्य.सी. ई.एन.जी.(पी. एच 15)/5/2021-ओ/ओ डिप्टी. सी.ई./सी.इला.(कंप्यूटर सं. 51223) दिनांक: 24.11.2021]

विपिन कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

North Central Railway (Construction Department)

NOTIFICATION

Prayagraj, the 7th August, 2024

S.O. 3511(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Prayagraj-Pt. Deendayal 3rd line doubling Railway project (150 km) in the district of **Karchana** in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Special Land Acquisition Officer (J.O.) / Prayagraj**, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the special Railway Project, namely, Pt. Deen Dayal Upadhaya to Prayagraj Jn. 3rd Railway line Project Under **Tehsil Karchana in Prayagraj District** in the state of Uttar Pradesh.

SN	Name of Tehsil	Name of village	Survey Plot No.	Acquired Area (in Hec.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KARCHHANA	GHOREDEEH	496	0.0430
			TOTAL	0.0430
2	KARCHHANA	MAHUARI TA. LAWAYAN	880	0.0040
			TOTAL	0.0040
3	KARCHHANA	KACHARI	175	0.0200
			TOTAL	0.0200
4	KARCHHANA	KATAKA	333	0.0200
			337	0.2280
			TOTAL	0.2480
				0.3150

[e-file No.NCR-HQ0CENG(PH 15)/5/2021- O/O Dy CE/C/ALD (Computer No.51223) Dated: 24.11.2021]

VIPIN KUMAR, Chief Administrative Officer(Construction)